कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची
Email : apccfdevelopment@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0ब0–61/2017– 907 दिनांक : 16.07.2018

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल/धनबाद वन प्रमंडल/रामगढ़ वन प्रमंडल/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल/देवघर वन प्रमंडल/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनों का संवर्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू–संरक्षण वृक्षारोपण कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु **रू0 100.892 (एक करोड़ नैवासी हजार दो सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–08/2018–43/स्वी0 व0प0 दिनांक 20.02.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–08/2018–47/आ0 व0प0 दिनांक 22.06.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष– 01 वानिकी, लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष– 40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 100.892 (एक करोड़ नैवासी हजार दो सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789400103	89.492
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789400323	11.400
	कुल :–	**100.892**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय

प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक–2** पर एवं ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601789400103 एवं 19S240601789400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध परिशिष्ट–1 में वर्णित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियो द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।

8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

9. योजना का कार्यान्वयन स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाएगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना

के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0ब0–61 / 2017– 907** दिनांक– **16.07.2018**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो / दुमका / हजारीबाग / पलामू / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल बोकारो / गिरिडीह / देवघर / चतरा / हजारीबाग / गढ़वा / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0ब0–61 / 2017– 907** दिनांक– **16.07.2018**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, बोकारो / धनबाद / रामगढ / गिरिडीह / देवघर / चतरा / हजारीबाग / गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक—1

वित्तीय वर्ष 2018—19 में कार्यान्वित की जानेवाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत वनों का संवर्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्रम सं0	प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय वर्ष 2018—19		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
रीजन का नाम :- बोकारो					
1	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	60	5.370	0.684	6.054
2	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	100	8.949	1.140	10.089
3	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	79	7.070	0.901	7.971
4	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	150	13.424	1.710	15.134
5	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	74	6.622	0.844	7.466
योग		**463**	**41.435**	**5.279**	**46.714**
रीजन का नामः— दुमका					
1	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	102	9.128	1.163	10.291
योग		**102**	**9.128**	**1.163**	**10.291**
रीजन का नामः— हजारीबाग					
1	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	100	8.949	1.140	10.089
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	135	12.082	1.538	13.620
3	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	100	8.949	1.140	10.089
योग		**335**	**29.980**	**3.818**	**33.798**
रीजन का नामः— पलामू					
1	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	100	8.949	1.140	10.089
योग		**100**	**8.949**	**1.140**	**10.089**
सकल योग		**1000**	**89.492**	**11.400**	**100.892**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-61/2017/907 दिनांक - 16-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41143	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	537,000.00 रुपये पाँच लाख सैतीस हजार
2	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41144	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	894,900.00 रुपये आठ लाख चौरानवे हजार नौ सौ
3	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41145	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	707,000.00 रुपये सात लाख सात हजार

योग: 2,138,900.00

क्रमिक योग: रुपये इक्कीस लाख अडतीस हजार नौ सौ

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.D[illegible])RANCHI

Run Date: 16/7/2018

पत्र संख्या - 01/YB-61/2017/907 दिनांक - 16-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41146	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	1,342,400.00 रुपये तेरह लाख बयालीस हजार चार सौ
5	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41147	GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	662,200.00 रुपये छः लाख बासठ हजार दो सौ
6	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41148	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	912,800.00 रुपये नौ लाख बारह हजार आठ सौ

योग: 2,917,400.00

क्रमिक योग: रुपये पचास लाख छप्पन हजार तीन सौ 5,056,300.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF,DEVELOPMENT,RANCHI

 164.100.150.21 Run Date: 16/7/2018

पत्र संख्या - 01/YB-61/2017/907

दिनांक - 16-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41149	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	894,900.00 रुपये आठ लाख चौरानवे हजार नौ सौ
8	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41150	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	1,208,200.00 रुपये बारह लाख आठ हजार दो सौ
9	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41151	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	894,900.00 रुपये आठ लाख चौरानवे हजार नौ सौ

योग: 2,998,000.00

क्रमिक योग: रुपये अस्सी लाख चौपन हजार तीन सौ 8,054,300.00

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.D(BADHAWAN)IFS) RANCHI

164.100.150.21

Run Date: 16/7/2018

पत्र संख्या - 01/YB-61/2017/907 दिनांक - 16-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41152	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	894,900.00 रुपये आठ लाख चौरानवे हजार नौ सौ
11	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41153	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	68,400.00 रुपये अडसठ हजार चार सौ
12	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41154	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	114,000.00 रुपये एक लाख चौदह हजार

योग: 1,077,300.00

क्रमिक योग: रुपये इनकानवे लाख इकतीस हजार छः सौ 9,131,600.00

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.DEV.JHARKHAND)RANCHI

Run Date: 16/7/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41155	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	90,100.00 रुपये नब्बे हजार एक सौ
14	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41156	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	171,000.00 रुपये एक लाख इकहत्तर हजार
15	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41157	GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	84,400.00 रुपये चौरासी हजार चार सौ

योग: 345,500.00

क्रमिक योग: रुपये चौरानवे लाख सित्योत्तर हजार एक सौ 9,477,100.00

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.DEVELOPMENT)RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41158	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	116,300.00 रुपये एक लाख सोलह हजार तीन सौ
17	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41159	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	114,000.00 रुपये एक लाख चौदह हजार
18	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41160	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	153,800.00 रुपये एक लाख तीरपन हजार आठ सौ

योग: 384,100.00

क्रमिक योग: रुपये अठानवे लाख इकसठ हजार दो सौ 9,861,200.00

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.DE[illegible])RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-61/2017/907 दिनांक - 16-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41161	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	114,000.00 रुपये एक लाख चौदह हजार
20	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41163	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	114,000.00 रुपये एक लाख चौदह हजार

योग: 228,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड नवासी हजार दो सौ 10,089,200.00

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.D[illegible])RANCHI

 164.100.16.21 Run Date: 16/7/2018

अनुलग्नक–2

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का कार्य दर

(Open Forest (10–40 प्रतिशत घनत्व) with adequate root stock)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : **237.38**

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2018–19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अस्थाई पौधशालाओं में Root-Shoot द्वारा तैयार किये गये एवं स्थाई पौधशाला में उपलब्ध 40% ट्यूब प्लान्ट का उपयोग वनरोपण हेतु किया जायेगा।	220	2	474.76	640.00	1114.76	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रू 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी
2	वृक्षारोपण		4.40	1044.47	0.00	1044.47	
3	दो कोड़नी निकौनी	हे0	20	4747.60	0.00	4747.60	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे0		0.00	500.00	500.00	
5	सिंगलिंग कार्य		4	949.52	0.00	949.52	
6	वनों की सुरक्षा		7.30	1732.87	0.00	1732.87	ट्रेन्च घेरान की मरम्मति
	योग–		**37.70**	**8949.23**	**1140.00**	**10089.23**	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास,
झारखण्ड, राँची